कार्यवाही विवरण

तारीख हुक्म / हस्ताक्षर पार्टी	
17/4/26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता जॉन्नी-

जैन उपस्थित अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित प्रकरण आवश्यक प्रकृती का होने से एकतरफा बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी अपनी बहस मे निवेदन किया की मौजा कन्नुमरा पटवार हल्का लम्बुकालेवा भू. अ. नि. कालीपीत की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या नया 44 पुराना 48 मे वर्णित बाद्‌गस्त आराजीयात् कित्ता 15 कुल रकबा 15.4116 हैक्टेयर भूमी स्थित है जो प्रार्थीगण अप्रार्थी की संयुक्त आराजी है, अप्रार्थी उक्त आराजी को विक्रय करने की नियत से सम्पूर्ण संयुक्त भूमी पर कब्जा किया जा रहा तथा मकान निर्माण करने हेतु पत्थर डाले जा रहे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से मना किया तो प्रतिवादीयो की संख्या अधिक होने से, अपनी ताकत के बल पर प्रार्थी के साथ मारपिट करने को उतारू हो गये अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है अत: अपनी अन्तिम बहस के अन्त मे अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से रोकने व रेकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने बाबत् मूल वाद निस्तारण होने तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाये जाने का निवेदन किया गया, हमने वादी की एक तरफा अन्तिम बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया मौजा कन्नुमरा पटवार हल्का लम्बुकालेवा मे खाता सं. 44 व पुराना 48 मे वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है जब तक संयुक्त खातेदारी का विधिवत् विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक क्षेत्र का प्रत्येक खातेदार मालिक व स्वामी होता है अप्रार्थी संयुक्त भूमी पर कब्जा करने हेतु आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे होना प्रतीत

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (राज.)

बनाम

मुकदमा पत्रावली संख्या सन

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी

होता है. ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से रोका जाना उचित प्रतीत होता है,

अतः मौजा कठुम्बरा पटवार हल्का लकुडलिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. नया 44 पुराना 48 मे वर्णित आराजी नम्बर 182, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 289 कुल किता 15 कुल रकबा 15.4116 है० भूमी मे मौके एवं रेकॉर्ड की यथा स्थिति व सम्पति को खुर्द-बुर्द नही करने हेतु उभयपक्ष को मुल वाद के निस्तारण होने तक उक्त आराजीयात पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है, साथ ही तहसीलदार, लसाडिया को जमाबन्दी मे स्थाई निषेधाज्ञा का नोट अंकित करने हेतु लिखा जावे, ता फैसला मुल वाद के साथ संलग्न रहे।

पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया